भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 2774

दिनांक 05.08.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

पिछड़े क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति

2774. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर देश के पिछड़े क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश विशेषकर शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इसके लिए और धनराशि आवंटित करने का विचार है;

(ग) क्या अनेक राज्यों की पेयजल संबंधी कुछ योजनाएं केंद्र सरकार के विचाराधीन/लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पेयजल की समस्या के निवारण हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क), (ख) और (ङ): अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से देश में वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को शामिल करके जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का क्रियान्वयन कर रही है। इस मिशन का अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपए है जिसमें केंद्रीय हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपए है।

जेजेएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जल गुणवत्ता-प्रभावित बसावटों, एससी/एसटी बहुलता वाले गांवों, आकांक्षी और जेई-एईएस प्रभावित जिलों के गांव, सूखा प्रवण और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पडने वाले गांव और सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) वाले गांवों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने को प्राथमिकता दी जाती है।

तत्कालीन एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत 2018-19 में तथा जेजेएम के अंतर्गत 2019-20 और 2020-21 में केंद्रीय निधि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं। इस मंत्रालय द्वारा जिला/निर्वाचन क्षेत्र-वार निधि आवंटन की सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग): जल राज्य का विषय होने के कारण, पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, डिजाइन, अनुमोदन और क्रियान्वयन करने का कार्य राज्य का है। भारत सरकार के स्तर पर ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु इस प्रकार की व्यक्तिगत योजना अनुमोदित नहीं की जाती है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

***

अनुबंध

दिनांक 05.08.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2774 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 में एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत और 2019-20 और 2020-21 में जेजेएम के तहत आबंटित निधि

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.62	1.78	2.93
2.	आंध्र प्रदेश	197.56	372.64	790.48
3.	अरुणाचल प्रदेश	96.95	132.55	254.85
4.	असम	567.89	694.95	1,608.51
5.	बिहार	476.63	787.31	1,839.16
6.	छत्तीसगढ़	95.47	208.04	445.52
7.	गोवा	3.34	7.57	12.41
8.	गुजरात	237.09	390.31	883.08
9.	हरियाणा	81.88	149.95	289.52
10.	हिमाचल प्रदेश	91.12	148.67	326.20
11.	जम्मू और कश्मीर	309.07	322.03	681.77
12.	झारखंड	207.97	267.69	572.24
13.	कर्नाटक	331.04	546.06	1,189.40
14.	केरल	90.37	248.76	404.24
15.	लद्दाख	एनए	166.65	352.09
16.	मध्य प्रदेश	274.09	571.60	1,280.13
17.	महाराष्ट्र	474.16	847.97	1,828.92
18.	मणिपुर	40.25	67.69	131.80
19.	मेघालय	52.43	86.02	174.92
20.	मिजोरम	28.00	39.87	79.30
21.	नागालैंड	34.72	56.49	114.09
22.	ओडिशा	154.99	364.74	812.15
23.	पुदुचेरी	1.29	2.50	4.64
24.	पंजाब	125.97	227.46	362.79
25.	राजस्थान	692.13	1,301.71	2,522.03
26.	सिक्किम	11.62	15.41	31.36
27.	तमिलनाडु	180.99	373.87	921.99
28.	तेलंगाना	131.40	259.14	412.19
29.	त्रिपुरा	55.18	107.64	156.61
30.	उत्तर प्रदेश	713.95	1,206.28	2,570.94
31.	उत्तराखंड	99.17	170.53	362.58
32.	पश्चिम बंगाल	917.82	995.33	1,614.18

एनए: लागू नहीं